प्रेस नोट दिनांक 28.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़
दिनांक : 28.06.2026

थाना जेठवारा पुलिस की तत्परता से 3 घंटे के भीतर गुम हुआ मोबाइल बरामद, स्वामी को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के क्रम में थाना जेठवारा पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए गुम हुआ मोबाइल फोन मात्र 3 घंटे के भीतर बरामद कर उसके स्वामी को सुपुर्द किया।

आज दिनांक 28.06.2026 को थाना जेठवारा पर मोहम्मद शमशाद पुत्र मोहम्मद रईस, निवासी ग्राम आशापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनका मोबाइल फोन कटरा बाजार में कहीं गिर गया है।

प्रभारी निरीक्षक जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की सहायता से मोबाइल की लोकेशन प्राप्त की गई। तत्पश्चात थाना जेठवारा के सीसीटीएनएस कर्मचारी मिथिलेश तिवारी द्वारा त्वरित प्रयास करते हुए मात्र 3 घंटे के भीतर गुम हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया।

बरामद मोबाइल को उसके वास्तविक स्वामी मोहम्मद शमशाद को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। अपना मोबाइल वापस पाकर आवेदक ने प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया।

प्रेस नोट दिनांक 28.06.2026
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कुल 101.39 ग्राम स्मैक के साथ 02 अभियुक्तों, रतन केशरवानी, दीपांशु सिंह को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को क्षेत्रान्तर्गत सैंयाबांध रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय का0 मो0 आरिफ व का0 नागेंद कुमार, का0 विलास यादव, का0 अंकित प्रजापति, का0 श्याम सुन्दर द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत सैंयाबांध रेलवे लाइन के पास से 02 अभियुक्तों, 1. रतन केशरवानी पुत्र स्व0 संतलाल केशरवानी नि0 गफ्फार पेट्रोल पम्प के सामने बाबागंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष, 2. दीपांशु सिंह पुत्र बृजेश बहादुर सिंह नि0 बाबागंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को 101.39 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 381/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रतन केशरवानी पुत्र स्व0 संतलाल केशरवानी नि0 गफ्फार पेट्रोल पम्प के सामने बाबागंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।
2. दीपांशु सिंह पुत्र बृजेश बहादुर सिंह नि0 बाबागंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

अभियुक्त रतन केशरवानी का आपराधित इतिहास-

01. मु0अ0सं0 0902/2019, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 0113/2024, धारा 20/8 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 381/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 101.39 ग्राम स्मैक बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय का0 मो0 आरिफ व का0 नागेंद कुमार, का0 विलास यादव, का0 अंकित प्रजापति, का0 श्याम सुन्दर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

प्रेस नोट दि0-28.06.2026
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों, विजय उर्फ दिग्विजय, राकेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 दीपक कुमार यादव व उ0नि0 विपिन चन्द्र यादव मय हमराह का0 राजकिशोर यादव, रि0का0 अभिषेक यादव, रि0का0 अभिषेक कुमार मिश्रा, रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 अजीत कुमार, रि0का0 राकेश यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0न0 477/18, मु0अ0सं0 115/2018 धारा 147,148, 149, 323, 504, 506 आईपीसी व 3(1) x एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. विजय उर्फ दिग्विजय पुत्र रामअंजोर निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष, 02. राकेश कुमार वर्मा पुत्र हरीलाल वर्मा निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. विजय उर्फ दिग्विजय पुत्र रामअंजोर निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष ।
02. राकेश कुमार वर्मा पुत्र हरीलाल वर्मा निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव व उ0नि0 विपिन चन्द्र यादव मय हमराह का0 राजकिशोर यादव, रि0का0 अभिषेक यादव, रि0का0 अभिषेक कुमार मिश्रा, रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 अजीत कुमार, रि0का0 राकेश यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-28.06.2026
थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त विजय सिंह उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, का0 सन्तोष यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा० न्यायालय द्वारा जारी केस संख्या 431/2023 सम्बन्धित अपराध संख्या 76/22धारा 8/20 NDPS ACT से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त विजय सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 सूर्यमणि सिंह निवासी भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. विजय सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 सूर्यमणि सिंह निवासी भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, का0 सन्तोष यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-28.06.2026
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 वांछित वारंटी अभियुक्त रोहित सरोज को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां के उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 राम प्रताप सिंह, म0उ0नि0 राखी सिहं ,रि0का0विनय सोनकर, का0पवन कुमार रि0का0 दीपक यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा० न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नं 19 क्रिमि0केस 10101/2025 राज्य बनाम रोहित सरोज (सम्बन्धित मु0अ0स0 14/2025 अन्तर्गत धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़) से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रोहित सरोज पुत्र मुन्ना सरोज उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम बलीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रोहित सरोज पुत्र मुन्ना सरोज उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम बलीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 राम प्रताप सिंह, म0उ0नि0 राखी सिहं ,रि0का0विनय सोनकर, का0पवन कुमार रि0का0 दीपक यादव थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-28.06.2026
थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा झपटमारी (स्नैचिंग) की घटना का सफल अनावरण; लूटे गए मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अंतू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने विगत दिनों हुई मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 04 अप्रैल 2026 को वादी द्वारा थाना अंतू में सूचना दी गई थी कि ग्राम बैजलपुर के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया गया था। इस संबंध में थाना अंतू पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 304(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लोकेंद्र सिंह, आरक्षी लाखन सिंह, आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी मृत्युंजय चौधरी द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रामेंद्र मणि त्रिपाठी पुत्र सुरेश मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम शिवसत तिवारीपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत लोहंगपुर ओवर ब्रिज के बैजलपुर की ओर से आने वाले रास्ते के पास के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त रामेंद्र मणि त्रिपाठी उर्फ लल्ला के कब्जे से झपटमारी (स्नैचिंग) से संबंधित 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामदगी की गई। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त रामेंद्र मणि त्रिपाठी उर्फ लल्ला मैं घात लगाकर एकांत जगह पर खड़े हो जाता हूं और लोगों के साथ झपटमारी करके उनका मोबाइल, गहना व पैसा छीन लेता हूं। यह मोबाइल मै व मेरा दोस्त गोलू पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी कर्मजीतपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ दोनों मिलकर दिनांक 04.04.2026 समय करीब दोपहर 01: 30 बजे बैजलपुर गांव में ट्रैक्टर चालक से झपट्टा मारकर छीने थे। यह वही रियलमी कंपनी का मोबाइल है जिसे हमने झपट्टा मारकर छीना था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामेंद्र मणि त्रिपाठी उर्फ लल्ला उम्र 33 वर्ष पुत्र सुरेश मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम शिवशत तिवारीपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लोकेंद्र सिंह, आरक्षी लाखन सिंह, आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी मृत्युंजय चौधरी थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि0-28.06.2026
थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा सनसनीखेज हत्याकांड का सफल अनावरण; नामजद अभियुक्ता गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना आसपुर देवसरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने ग्राम सेतापुर में घटित हत्याकांड के मामले में वांछित एक नामजद अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:
थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेतापुर में पुरानी रंजिश के चलते कुछ नामजद अभियुक्तों द्वारा लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर रामआसरे गौतम व उनके परिजनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें उपचार के दौरान रामआसरे की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 42/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 जावेद अहमद खान, का0 वीरेन्द्र यादव, का० कैलाश यादव, रि0 आ0 शिवम यादव, रि0म0 आ0 ममता कुमारी, रि0म0 आ0 सुमन सिंह, रि0म0 आ0 प्रियंका प्रजापति मय चालक का सुनील सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 42/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115 (2)/352/351 (3)/109 (1) 1333/103 (1) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्ता शान्ता देवी पत्नी रामदौर नि0 ग्रा0 सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत सेतापुर मोड़ से पट्टी जाने वाले मार्ग के पास के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि मेरा नाम हत्या के मुकदमे में लिखा गया मै लुक छिप कर बच बचा कर रह रही थी आज कही रिश्तेदारी में जाने वाली थी कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01. अभियुक्ता शान्ता देवी पत्नी रामदौर नि0 ग्रा0 सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 जावेद अहमद खान, का0 वीरेन्द्र यादव, का० कैलाश यादव, रि0 आ0 शिवम यादव, रि0म0 आ0 ममता कुमारी, रि0म0 आ0 सुमन सिंह, रि0म0 आ0 प्रियंका प्रजापति मय चालक का सुनील सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक : 28.06.2026
थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, जानलेवा हमले के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का फरसा (चक्रानुमा) बरामद

पड़ोसी पर फरसे से जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त थाना अंतू पुलिस के हत्थे चढ़ा, घटना में प्रयुक्त फरसा बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय, रि0का0 रजनीश उपाध्याय एवं रि0का0 विवेक कुमार रंजन द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र गंगा प्रसाद, निवासी ग्राम सराय महिमा, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष को ग्राम सराय महिमा स्थित बाग-तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसे संदेह था कि उसका पड़ोसी उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया है। इसी रंजिश के कारण उसने अपने भाई के साथ मिलकर पड़ोसी पर जान से मारने की नीयत से फरसे एवं लाठी-डंडे से हमला किया था। घटना के बाद मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने पर वह फरार चल रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का चक्रानुमा फरसा झाड़ियों से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शिवम पुत्र गंगा प्रसाद, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम सराय महिमा, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का चक्रानुमा फरसा।

पुलिस टीम- उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय, रि0का0 रजनीश उपाध्याय, रि0का0 विवेक कुमार रंजन थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।